

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ १(२)ग्रावि/नरेगा/माद/पार्ट-१/२०१०

जयपुर, दिनांक :

१० APR 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,  
समस्त राजस्थान।

विषय :- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपी लैडस) का मनरेगा के साथ  
अभिसरण।

संदर्भ :- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक  
सी/१६/२००९—एमपीलैडस दिनांक १३.०१.२०१२

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा मनरेगा के साथ एमपीलैड के अभिसरण  
की अनुमति केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गयी है। पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि इस  
अभिसरण का लाभ उठाते हुए योजनान्तर्गत स्थायी परिस्थितियों के निर्माण तथा श्रम सामग्री  
का अनुपात निर्धारित नाँम्स के अनुसार संधारित किये जाने का प्रयास किया जावें तथा ऐसे  
कार्य जिन पर सामग्री मद पर अधिक व्यय संभावित है, एमपीलैड के साथ अभिसरण के  
माध्यम से कराने का प्रयास किया जावें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अमर कुमार)  
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि:

- अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी  
अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
- अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान  
जयपुर/जोधपुर।
- रक्षित पत्रावली।

परि.निदि. एवं उप सचिव, ईजीएस

## Member of Parliament Local Area Development Scheme



भारत सरकार  
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय  
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली - 110001

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION  
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001

FAX : 23364197  
E-mail : mplads@nic.in

Dated ..... दिनांक: 13.01.2012

D. No. 3366  
Date 10/01/2012

फाइल सं.सी/16/2009-एमपीलैड्स

सेवा में,

आयुक्त, नगर निगम कोलकाता/चेन्नै/दिल्ली  
सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषय:- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) का मनरेगा के साथ अभिसरण ।

महोदय/महोदया,

मनरेगा के साथ एमपीलैड के अभिसरण की अनुमति देने के बारे में सरकार को कई प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। मामले की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि नीचे दिए पैरा के अनुसार इन्हें मिलाने की अनुमति दी जाए। इसे एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों में पैरा 3.17.1 के रूप में जोड़ा जाए :-

“ 3.17.1 - सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) का मनरेगा के साथ अभिसरण - सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) से निधियों को मनरेगा के साथ और ज्यादा स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के उद्देश्य मिलाया जा सकता है। सांसद अनुशंसा किए जाने वाले वर्ष के लिए जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित मनरेगा परियोजनाओं की सूची के कार्यों के साथ एमपीलैड्स के अभिसरण की सिफारिश कर सकते हैं और इस परियोजना सूची को जिले के लिए मनरेगा के तहत अनुमोदित कार्य-योजना तैयार करने वाले जिला कार्यक्रम समन्वयक की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। जहां तक संभव हो, एमपीलैड निधियों का उपयोग केवल सामग्री घटक के संबंध में ही किया जाएगा।


एक बार मनरेगा के लिए जिस कार्य की सिफारिश कर दी जाएगी उसे वापस लेने का अधिकार सांसदों को नहीं होगा। एमपीलैड्स निधियों के आहरण के अनुरोध के मामले में मनरेगा से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा। सभी अनिवार्य शर्तों, जैसे कि कोई ठेकेदार नहीं होगा, मशीनरी का उपयोग नहीं किया जाएगा, सामाजिक लेखा-परीक्षा अनिवार्य होगी आदि सहित मनरेगा के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। जिला नियोजन समिति (डीपीसी)

ग्राम पंचायत को एमपीलैड्स के तहत अभिसरित कार्यों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित करेगी। जिला नियोजन समिति कार्यों के कार्यान्वयन हेतु ग्राम पंचायत को पर्याप्त तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी। चूंकि अपेक्षा यह की जाती है कि सामग्री तथा श्रम घटक का उपयोग साथ-साथ ही होगा, अतः अभिसरण के ऐसे मामलों में एमपीलैड्स निधियों का उपयोग अंत में करना आवश्यक नहीं है।

व्यय सम्बंधी खाते एमपीलैड्स और मनरेगा, दोनों के लिए अनिवार्यतः अलग-अलग रखे जाएंगे। कार्य की लागत, एमपीलैड योजना/मनरेगा से अंशदान, कार्य प्रारंभ तथा समाप्त होने एवं उदघाटन की तारीख और एमपीलैड योजना/मनरेगा के तहत कार्य प्रायोजित करने वाले सांसद का नाम दर्शाने वाली एक संयुक्त पटिका (पत्थर/धातु) स्थायी रूप से लगाई जानी चाहिए।”

2. एमपीलैड्स/मनरेगा की अभिसरण स्कीमों के कार्यान्वयन में इन अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाए।
3. इसे माननीय मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,



(ए.के.चतुर्वेदी)

निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. सभी माननीय सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. एमपीलैड्स से सम्बंधित नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
5. एमपीलैड्स प्रभाग के सभी सम्बंधित अधिकारी
6. एनआईसी: एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए